# झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा
# का
# <u>संविधान</u>

**अनुच्छेद–1**

**मोर्चा का नामः–** **झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा**

**अनुच्छेद–2**

**मोर्चा का उद्देश्य :–**

1. **''झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा'' विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ–निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा।**

2. सर्वोदय की भावना को ध्यान में रखते हुए मानवता की रक्षा में जिन महान विभूतियों ने इस क्षेत्र में अपना बलिदान दिया, उसे कायम रखते हुए जो विरासत स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, अशफाकउल्ला खॉ, डॉ० भीमराव अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, बिनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा, शेख भिखारी, निर्मल महतो, सुनिल महतो, सिधो–कान्हो, निलाम्बर पिताम्बर तथा देश व राज्य के दूसरे क्रांतिकारियों के सिद्धांतों पर चलते हुए पार्टी जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देगी।

3. मोर्चा का उद्देश्य झारखण्ड सहित देश की जल–जंगल–जमीन एवं भाषा संस्कृति का संरक्षण व आगे बढ़ाना है साथ ही राज्य के मुख्य धारा से शोषित, वंचित एवं पीड़ितों को आर्थिक व सामाजिक समानता दिलाने के लिए कार्य करने के अलावा झारखण्ड की लोक शिल्प, लोक नृत्य एवं लोक गीत संगीत के संरक्षण व संवर्द्धन करना है।

4. झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक मजबूत धर्म–निरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए कृत्य समर्पित है। यह ऐसी राज्य व्यवस्था में विश्वास रखता है जो समाज में रह रहे लोगों के उत्थान और विकास के लिए आवश्यक हो जिसमें आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण निश्चित हो।

5. झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा शांतिमय तथा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट करने के अधिकार को स्वीकार करता है, जिसमें सत्याग्रह शांतिपूर्ण विरोध शामिल है।

6. झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा धर्म पर आधारित राष्ट्र की अवधाराना का विरोध करता है साथ ही भारत में प्रचलित किसी भी धर्म में आस्था रखने वाले नागरिकों को मोर्चा का सदस्य बनाया जा सकता है।

7. भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी पुरूष एवं महिला और उनके पारिवारिक सदस्यों को झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल नहीं किया जायेगा।

8. राजनीति में बढ़ते अपराधिकरण को रोकने हेतु अपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल नहीं किया जायेगा।

**अनुच्छेद–3**

**मोर्चा की सदस्यताः–**

1. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के संविधान में पूर्ण आस्था रखता हो वो 10 रू0 या निर्धारित शुल्क देकर झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर सकता है, परंतु वह भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किसी भी राजनीतिक पार्टी या दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने वाले को अनुच्छेद–2 के बिन्दु–5, 6, 7 एवं 8 से संबंधित एक शपथ पत्र देना होगा, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेड या नोटरी पब्लिक द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

2. सक्रिय सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्ति 1000 रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क देकर मोर्चा में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं।

3. केन्द्रीय स्तर के पदाधिकारियों को वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में 5000 रू0 देना होगा।

4. जिला स्तर के पदाधिकारियों को वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में 3000 रू0 देना होगा।

5. प्रखण्ड/पंचायत/ग्राम स्तर के पदाधिकारियों को वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में 1000 रू0 देना होगा।

6. संग्रहित सदस्यता शुल्क विभिन्न इकाईयों मे निम्न प्रकार बाँटा जायेगा :–

| | |
|---|---|
| केन्द्रीय कार्यकारिणी | 30 प्रतिशत |
| राज्य कार्यकारिणी | 30 प्रतिशत |

| | |
|---|---|
| जिला कार्यकारिणी | 20 प्रतिशत |
| प्रखण्ड / पंचायत कार्यकारिणी | 20 प्रतिशत |

**अनुच्छेद–4**

**मोर्चा के घटक(संगठनात्मक संरचना)**

**<u>झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के निम्न घटक होंगे</u>** :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | केन्द्र स्तरीय संगठन | अ– केन्द्रीय सम्मेलन | ब– केन्द्रीय कार्यकारिणी |
| 2. | राज्य स्तरीय संगठन | अ– राज्य सम्मेलन | ब– राज्य कार्यकारिणी |
| 3. | प्रमंडल स्तरीय संगठन | अ– प्रमंडल सम्मेलन | ब– प्रमंडल कार्यकारिणी |
| 4. | जिला स्तरीय संगठन | अ– जिला सम्मेलन | ब– जिला कार्यकारिणी |
| 5. | प्रखंड स्तरीय संगठन | अ– प्रखंड सम्मेलन | ब– प्रखंड कार्यकारिणी |
| 6. | मंडल स्तरीय संगठन | अ– मंडल सम्मेलन | ब– मंडल कार्यकारिणी |
| 7. | पंचायत स्तरीय संगठन | अ– पंचायत सम्मेलन | ब– पंचायत कार्यकारिणी |
| 8. | ग्राम / बुथ स्तरीय संगठन | अ– ग्राम / बुथ स्तरीय संगठन | ब– ग्राम / बुथ कार्यकारिणी |

नोट – अ– ग्राम / बुथ संगठन का क्षेत्र एक गाँव होगा तथा इस संविधान में लिखित राज्य शब्द में केन्द्र शासित क्षेत्र भी शामिल होगा।

**<u>घटक की शक्तियाँ एवं प्रकार्य</u>**

**केन्द्र स्तरीय संगठन**

**(अ) केन्द्रीय सम्मेलन**

1. केन्द्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगे :–

   क) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सम्मेलन में चयनित प्रतिनिधि।

   ख) झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सभी प्रदेश अध्यक्ष, संसद सदस्य, सभी विधायक एवं सभी जिला अध्यक्ष, नगर प्रमुख मोर्चा के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष।

   ग) केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य

   घ) झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष यदि वह

मोर्चा के सक्रिय सदस्य हों, इस धारा की उपधारा की उपधारा एक (क) से (घ) तक के कुल प्रतिनिधियों की संख्या के 10 प्रतिशत प्रतिनिधि केन्द्रीय सम्मेलन हेतु केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

2. केन्द्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर अथवा केन्द्रीय सम्मेलन के 1/3 सदस्यों की माँग पर केन्द्रीय सम्मेलन या विशेष अधिवेशन केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा कभी भी बुलाया जा सकता है।

3. वर्ष में कम से कम एक बार केन्द्र द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर केन्द्रीय सम्मेलन आयोजित की जायेगी।

4. केन्द्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियो के चयन को लेकर यदि किसी को कोई भी आपत्ति हो तो वह केन्द्रीय अध्यक्ष के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करा सकता है, जिस पर केन्द्रीय अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5. मोर्चा के समस्त केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य व अध्यक्ष खुले अधिवेशण में डेलिगेट होंगे।

**(ब) केन्द्रीय कार्यकारिणी :–**

1. केन्द्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित 61 सदस्य होंगे। केन्द्रीय सम्मेलन में अध्यक्ष सहित 61 सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा, जिसमें अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष–पाँच, प्रमुख महासचिव–एक, महासचिव–दस, सचिव–20, कोषाध्यक्ष–एक, केन्द्रीय प्रवक्ता–तीन, अन्य सदस्य–20 इस प्रकार केन्द्रीय स्तरीय पदाधिकारियों का निर्वाचन केन्द्रीय सम्मेलन में किया जाएगा। साथ ही केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक हर दो महीने में होगी तथा आवश्यक होने पर केन्द्रीय अध्यक्ष के बुलावे पर केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक कभी बभी बुलाई जा सकती है।

2. झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केन्द्रीय सम्मेलन या विशेष सम्मेलन द्वारा लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन कराने का दायित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा।

3. झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के संविधान की विभिन्न अनुच्छेद की व्याख्या एवं प्रयोग संबंधी मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अधिकार अंतिम एवं निर्णायक होगा।

4. केन्द्रीय कार्यकारिणी, केन्द्रीय सम्मेलन की प्रत्येक बैठक के समक्ष सम्मेलन की पिछली बैठक की कार्यवाही का विवरण और उस बैठक की विषय सूची रखेगी।

5. केन्द्रीय सम्मेलन का कोई सदस्य यदि सम्मेलन की बैठक में कोई प्रस्ताव लाना चाहता है तो वह सम्मेलन की बैठक में कम से कम 15 दिन पहले केन्द्रीय कार्यकारिणी के समक्ष अपना प्रस्ताव भेजेगा। केन्द्रीय कार्यकारिणी प्रस्ताव से सहमत होने की दशा में उसे विचार हेतु सम्मेलन में ला सकता है।

6. केन्द्रीय कार्यकारिणी झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की समस्त इकाईयों के रिकॉर्ड/अभिलेख, कागजात और बही खातों की जाँच करने के लिए लेखा परीक्षकों या अन्य अधिकारियो की नियुक्ति कर सकती है। सभी इकाईयों के लिए लेखा परीक्षकों एवं अधिकारियों को वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

7. आवश्यकता पड़ने पर झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाना, नियमों का क्रियान्वयन कराना, केन्द्रीय कार्यकारिणी का अधिकार होगा। केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा इस तरह से बनाये गये नियमों का अनुमोदन केन्द्रीय सम्मेलन की अगली बैठक में अनिवार्य रूप से किया जायेगा। इस तरह के नियम केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा बनाये जाने के तुरन्त बाद लागू हो जायेंगे, भले ही उनका अनुमोदन बाद में हो।

8. संविधान के अधीन विभिन्न इकाईयों को निर्देश देने का अधिकार केन्द्रीय अध्यक्ष का होगा।

9. केन्द्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर केन्द्रीय कार्यकारिणी तारीख तय करेगी जिसपर उसके अधीनस्थ ग्राम स्तर से लेकर केन्द्रीय सम्मेलन के गठन का कार्य पूरा होगा।

10. केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा अवश्य बुलाई जायेगी।

11. संसदीय दल का नेता अथवा केन्द्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी का पदेन

सदस्य होगा। राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष और पार्टी के विधानमंडल दल के नेता केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

12. मोर्चा के विभिन्न विभागों/विंग का गठन केन्द्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन से किया जायेगा तथा उसका विकेन्द्रीयकरण केन्द्र, राज्य, जिला, प्रखण्ड सहित पंचायत स्तर तक होगा। जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, दलित मोर्चा इत्यादि।

**पदाधिकारियों के कार्य :–**

**अध्यक्ष :–**

क) अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी सहित केन्द्रीय एवं मोर्चा की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

ख) झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी अनुशासनहीनता या मोर्चा विरोधी कार्य करता है तो (क) अध्यक्ष ऐसे किसी भी पदाधिकारी/पदाधिकारियों, सदस्यों को मोर्चा से निलम्बित करने से पूर्व उनके मामले को अनुशासन समिति को सौंपकर जाँच करायेगा। जाँच रिपोर्ट एवं संस्तुति प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा दोषी व्यक्ति के खिलाफ जो भी निर्णय लिया जायेगा वह अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

ग) जब केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही होगी, उस अवधि में केन्द्रीय अध्क्षय, कार्यकारिणी के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा। लेकिन इस दौरान लिए गए निर्णयों की पुष्टि केन्द्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक में करानी होगी।

घ) केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का अधिकार अध्यक्ष का होगा। कार्यकारिणी के 1/3 सदस्यों की मांग पर अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने को बाध्य होगा।

ङ) कार्यकारिणी के किसी सदस्य के त्याग–पत्र देने, मृत्यु होने, पागल या दिवालिया होने, सजायाफता होने, मोर्चा से निकाले जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों को केन्द्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन से केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा कार्यकाल के लिए मनोनीत किया जायेगा।

**उपाध्यक्ष** :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में केन्द्रीय कार्यकारिणी या केन्द्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। समय–समय पर अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत उपाध्यक्ष वह सब कार्य करेगा, जिसके लिए उसे अधिकृत किया गया है।

**प्रमुख महासचिव** :–

अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण के अधीन प्रमुख महासचिव कार्य करेगा। अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्वों के अनुसार मोर्चा के अधिवेशन की कार्यवाही तैयार करना तथा उसका प्रकाशन कराना प्रमुख महासचिव का दायित्व होगा। केन्द्रीय सम्मेलन या केन्द्रीय कार्यकारिणी के कार्यों का विवरण तैयार कराना, अगली बैठक में उसे प्रस्तुत करने का कार्य भी प्रमुख महासचिव का होगा।

**महासचिव/सचिव** :–

महासचिव/सचिव मोर्चा के केन्द्रीय अध्यक्ष/प्रमुख महासचिव द्वारा समय–सयम पर सौंपे गये कार्यों को सम्पादित करेंगे।

**कोषाध्यक्ष** :–

कोषाध्यक्ष झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कोष का व्यवस्थापक होगा। वह समस्त पूंजी, विनियोग, आमदनी तथा खर्च का हिसाब रखेगा।

**प्रवक्ता** :–

कार्यकारिणी के निर्णयों, नीतियों, सिद्धांतों तथा सम–सामयिक विषयों पर मीडिया के माध्यम से मोर्चा के रूख को प्रसारित करेंगे।

**केन्द्रीय संसदीय बोर्ड (सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड)** :–

झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक केन्द्रीय संसीय बोर्ड होगा, जिसकी संख्या सात होगी। केन्द्रीय अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का मनोनयन किया जायेगा। राज्यों के विधान मंडलों एवं सांसद के निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों का चयन करने वाली अंतिम एवं निर्णायक संस्था के रूप में केन्द्रीय संसदीय बोर्ड कार्य करेगा। चुनाव चिन्ह का आवंटन मोर्चा के केन्द्रीय अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षरों से ही होगा।

**विषय निर्धारण समिति** :–

1. केन्द्रीय कार्यकारिणी दल के सम्मेलन या विशेष अधिवेशन से पहले जब विभिन्न प्रस्तावों के चयन हेतु बैठेगा तो उसे विषय निर्धारण समिति का नाम दिया जायेगा।

2. केन्द्रीय सम्मेलन/विशेष अधिवेशन के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा विषय निर्धारण समिति को भेजे गये प्रस्ताव और राज्य सम्मेलनों द्वारा अधिवेशन से कम से कम 15 दिन पहले केन्द्रीय कार्यकारिणी को भेजे गये प्रस्ताव जिन पर केन्द्रीय कार्यकारिणी सहमत हो विषय निर्धारण समिति के समक्ष रखे जायेंगे। विषय निर्धारण समिति प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करेगी। विषय निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत न होने पर अधिवेशन की बैठक के ठीक पहले यदि कम से कम 50 प्रतिनिधि इस प्रस्ताव को रखने के लिए लिखकर दे तो अध्यक्ष उस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय देगा।

**राज्य स्तरीय संगठन** :–

**(अ) राज्य सम्मेलन** :–

राज्य स्तरीय सम्मेलन में ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक के अध्यक्षों को शामिल कर राज्य इकाई का गठन किया जायेगा।

**(ब) राज्य कार्यकारिणी** :–

1. राज्य सम्मेलन, राज्य कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष सहित 51 सदस्यों का निर्वाचन करेगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्य में से उपाध्यक्ष–चार, प्रमुख महासचिव–एक, महासचिव–छः, सचिव–दस, कोषाध्यक्ष–एक, प्रवक्ता–एक, सक्रिय सदस्य सत्ताइस को मनोनीत करेगा।
2. राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद में नेता राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।
3. केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अपने–अपने राज्यों में राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।
4. राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष छः माह में कम से कम एक बार राज्य कार्यकारिणी की बैठक अवश्य बुलायेगा।
5. राज्य कार्यकारिणी के 1/3 सदस्यों अथवा राज्य सम्मेलन के 1/3 सदस्यों की मांग पर राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य सम्मेलन की बैठक बुलाने को अध्यक्ष बाध्य होगा।
6. राज्य सम्मेलन वर्ष में एक बार आहूत किया जायेगा।

**राज्य संसदीय बोर्ड** :–

झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्येक राज्य संसदीय बोर्ड के सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष सहित सात होगी। राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष द्वारा राज्य कार्यकारिणी के अनुमोदन से पार्लियामेन्ट बोर्ड अपने–अपने राज्यों में लोकसभा, विधानसभा एवं स्ाीनीय निकाय के चुनावों के समय प्रत्याशियों के नामों का पैनल केन्द्रीय संसदीय बोर्ड को अपनी संस्कृति सहित भेजेगा।

**जिला स्तरीय संगठन** :–

**(अ)** **जिला सम्मेलन** :– जिला स्तरीय सम्मेलन में समस्त ब्लॉकों, ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों सहित निम्नलिखित सदस्य होंगे। मोर्चा के सभी वर्तमान एवं पूर्व सांसद, विधायक, अध्यक्ष एवं सदस्य जिला पंचायत, अध्यक्ष–जिला सहकारी बैंक, अध्यक्ष–जिला सहकारी संघ, ब्लॉक प्रमुख, समस्त नगरपालिकाओं के अध्यक्ष एवं संचालक जिला सम्मेलन के पदेन सदस्य होंगे, बशर्ते वे झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सक्रिय सदस्य होंगे।

**(ब)** **जिला कार्यकारिणी** :– जिला सम्मेलन अध्यक्ष सहित 21 सदस्सीय जिला कार्यकारिणी का चुनाव करेगा। अध्यक्ष इन सदस्यों में से उपाध्यक्ष–दो, महासचिव–तीन, सचिव–छः, कोषाध्यक्ष–एक व सक्रिय सदस्य–आठ को मनोनीत करेगा।

**ब्लॉक स्तरीय संगठन**:–

1. ब्लॉक सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम सभाओं को शामिल कर ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन में ब्लॉक संगठन का गठन किया जायेगा।

2. ब्लॉक सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले मोर्चा के सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंकों, अध्यक्ष डी0सी0एफ0 सदस्य जिला पंचायत, सदस्य–क्षेत्रीय समिति, संचालक–जिला सहकारी बैंक, नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओ के अध्यक्ष एवं निदेशक, ब्लॉक कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्यो के लिए झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का सक्रिय सदस्य होना अनिवार्य है।

3. ब्लॉक सम्मेलन द्वारा अध्यक्ष सहित 11 सदस्सीय कार्यकारिणी के चुनाव के साथ–साथ क्षेत्र के सक्रिय सदस्यों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत जिला सम्मेलन, 10 प्रतिशत राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जायेगा। सभी स्तर के प्रतिनिधियों के लिए सक्रिय सदस्य होना आवश्यक होगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से उपाध्यक्ष–एकत्र, महासचिव–एक, सचिव–एक, कोषाध्यक्ष–एक तथा सक्रिय सदस्य–छः मनोनीत करेगा।

**ग्राम स्तरीय संगठन** :–

1. ग्राम कार्यकारिणी का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

2. ग्राम कार्यकारिणी अध्यक्ष–एक, कोषाध्यक्ष–एक तथा सक्रिय सदस्य–पाँच होंगे, जिनका चुनाव मोर्चा के प्रारंभिक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

**कोरम** :– झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के समस्त सम्मेलन एवं विशेष अधिवेशनों की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का 1/3 होगा। कार्य समितियों की बैठक कोरम कुल संख्या का एक तिहाई होगा।

**नियुक्ति प्रक्रिया (निर्वाचन)** :–

1. **केन्द्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी का चुनाव** :–

   क) केन्द्रीय अध्ययक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन से किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा। निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पन्न करा सके, इसलिए निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए केन्द्रीय अध्यक्ष दो सहायक निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति कर सकता है।

   ख) केन्द्रीय सम्मेलनों के सभी सदस्यों को निर्वाचन की सूचना निर्वाचन अधिकारी द्वारा संदेशवाहक, डाक से अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी जायेगी।

   ग) अध्यक्ष पद के लिए केन्द्रीय सम्मेलन में दस सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करेंगे, जो केन्द्रीय सम्मेलन का सदस्य हों।

   घ) राज्य सम्मेलन के सदस्य कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव में एक नाम का ही प्रस्ताव कर सकेंगे।

   ङ) नाम वापसी के बाद यदि निर्वाचन आवश्यक हुआ तो अगले दिन मतदान कराया जायेगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना संपन्न होगी तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्यकारिणी के विजयी सदस्यों की घोषणा कर दी जायेगी।

   च) प्रत्येक स्तरीय कार्यकारिणी का निर्वाचन धारा–27(2) के अनुसार सम्पन्न किया जायेगा।

   छ) केन्द्रीय अध्यक्ष का चुनाव केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य तथा राज्य में विभिन्न जिला अध्यक्ष करेंगे, जिसके तहत केन्द्रीय सदस्य के मत का मूल्य–2 होगा तथा जिला अध्यक्ष के मत का मूल्य–1 होगा।

**कार्यकाल**:–

केन्द्र स्तरीय संगठन से लेकर ग्राम स्तरीय संगठन के पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

**<u>अनुच्छेद–5</u>**

**<u>मोर्चा के पदाधिकारी</u> :–**

**<u>केन्द्र स्तरीय संगठन में मोर्चा के पदाधिकारी व शक्तियाँ व प्रकार्य</u> :–**

1. केन्द्र स्तरीय संगठन में अध्यक्ष सहित 61 सदस्य होंगे। केन्द्रीय सम्मेलन में अध्यक्ष सहित 61 सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा, जिसमें अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष–पाँच, प्रमुख महासचिव–एक, महासचिव–दस, सचिव–बीस, कोषाध्यक्ष–एक, प्रवक्ता–तीन एवं अन्य सदस्य–बाइस। इस प्रकार केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों का निर्वाचन केन्द्रीय सम्मेलन में किया जायेगा।

2. मोर्चा के पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं प्रकीर्ण लोकतांत्रिक भावना से ओत–प्रोत है, जो भारत की संविधान की गरिमा के अनुरूप की कार्य करेंगे, जिससे भारत देश का विकास हो सके तथा नियुक्ति व चयन प्रक्रिया का उल्लेख निर्वाचन पद्धति में किया गया है। केन्द्र स्तरीय संगठन का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

**<u>केन्द्र स्तरीय संगठन में मोर्चा के पदाधिकारी व शक्तियाँ व प्रकार्य</u> :–**

1. राज्य स्तरीय संगठन में अध्यक्ष सहित 51 सदस्य को निर्वाचन करेगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्य में से उपाध्यक्ष–चार, प्रमुख महासचिव–एक, महासचिव–छः, सचिव–दस, कोषाध्यक्ष–एक, प्रवक्ता–एक, सक्रिय सदस्य–सत्ताइस को मनोनीत करेगा।

2. मोर्चा के पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं प्रकीर्ण लोकतांत्रिक भावना से ओत–प्रोत है, जो भारत की संविधान की गरिमा के अनुरूप की कार्य करेंगे, जिससे भारत देश का विकास हो सके तथा नियुक्ति व चयन प्रक्रिया का उल्लेख निर्वाचन पद्धति में किया गया है। राज्य स्तरीय संगठन का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

**<u>जिला स्तरीय संगठन में मोर्चा के पदाधिकारी व शक्तियाँ व प्रकार्य</u> :–**

1. जिला स्तरीय संगठन में अध्यक्ष सहित 21 सदस्य का निर्वाचन करेगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्य में से उपाध्यक्ष–दो, महासचिव–तीन, सचिव–छः, कोषाध्यक्ष–एक सक्रिय सदस्य–आठ को मनोनीत करेगा।

2. मोर्चा के पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं प्रकीर्ण लोकतांत्रिक भावना से ओत–प्रोत हैं जो भारत की संविधान की गरिमा के अनुरूप की कार्य करेंगे, जिससे भारत देश का विकास हो सके तथा नियुक्ति व चयन प्रक्रिया का उल्लेख निर्वाचन पद्धति में किया गया है, जिला स्तरीय संगठन का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

**ब्लॉक स्तरीय संगठन में मोर्चा के पदाधिकारी व शक्तियाँ व प्रकार्य** :–

1. ब्लॉक सम्मेलन द्वारा अध्यक्ष सहित 11 सदस्यों का निर्वाचन के साथ–साथ क्षेत्र के सक्रिय सदस्यों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत जिला सम्मेलन, 10 प्रतिशत राज्य सम्मेलन तथा 5 प्रतिशत केन्द्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों का चुनाव कयिा जायेगा। सभी स्तर के सक्रिय सदस्यों का होना आवश्यक होगा। अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों मे से उपाध्यक्ष–एकत्र महासचिव–एक, सचिव–एक, कोषाध्यक्ष–एक, सक्रिय सदस्य–छः को मनोनीत करेगा।

2. मोर्चा के पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं प्रकीर्ण लोकतांत्रिक भावना से ओत–प्रोत है, जो भारत की संविधान की गरिमा के अनुरूप कार्य करेंगे, जिससे भारत देश का विकास हो सके तथा नियुक्ति व चयन प्रक्रिया का उल्लेख निर्वाचन पद्धति में किया गया है, ब्लॉक स्तरीय संगठन का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

**ग्राम स्तरीय संगठन में दल के पदाधिकारी एवं शक्तियाँ व प्रकार्य** :–

1. ग्राम कार्यकारिणी अध्यक्ष सहित सात ससदस्यीय कार्यकारिणी होगी, जिसमें अध्यक्ष –एक, उपाध्यक्ष–एक, सचिव–एक, कोषाध्यक्ष–एक, सक्रिय सदस्य–तीन होंगे।

2. मोर्चा के पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं प्रकीर्ण लोकतांत्रिक भावना से ओत–प्रोत है, जो भारत की संविधान की गरिमा के अनुरूप कार्य करेंगे, जिससे भारत देश का विकास हो सके तथा नियुक्ति व चयन प्रक्रिया का उल्लेख निर्वाचन पद्धति में किया गया है, ग्राम स्तरीय संगठन का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

**अनुच्छेद–6**

**विवादों का निपटान एवं अनुशासन के नियमः–**

**निर्वाचन सम्बन्धी विवादः–**

इस तरह जिला स्तरीय विवादों को राज्य कार्यकारिणी निपटायेगी। राज्य स्तरीय विवादों को केन्द्रीय कार्यकारिणी निपटायेंगी तथा केन्द्रीय विवादों को केन्द्रीय अध्यक्ष की सहमति से निपटारा कराया जायेगा।

**अनुशासन समिति** :–

अनुशासन समिति या दल विरोधी कार्य करने वाले सदस्य/पदाधिकारियों के मामलों में केन्द्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन से एक तीन सदस्यीय समिति का गठन करेगा। इसमें अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे। समिति से निश्चित समय सीमा के अंदर जाँच रिपोर्ट एवं संस्तुतियाँ प्राप्त करके अध्यक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

**अनुच्छेद–7**

**कामकाज के संचालन की मूलभूत जानकारी** :–

झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की राष्ट्रीय कमिटी के दिशा–निर्देश के निर्णय को ग्राम स्तर तक की कमिटी एवं कार्यकर्ताओं को मानना होगा। सभी बैठकों में केन्द्र स्तर के संगठन तक अपने–अपने सदस्य संख्या के 1/3 की उपस्थिति तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों की सहमति से ही किसी निर्णय को लागू किया जायेगा।

**अनुच्छेद–8**

**मोर्चा के कोष एवं लेखे** :–

प्रत्येक स्तर की कार्यकारिणी के बैंक खाते झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से तीन पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से खोले जायेंगे। एक लाख से उपर के लेन–देन की जानकारी केन्द्रीय अध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा। अवहेलना की शुल्क से संबंधित पर कार्यवाई सम्भव है, जिसमें अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष द्वारा एक तीसरे व्यक्ति का मनोनयन किया जायेगा तथा धन आहरण किन्हीं दो व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। मोर्चा के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समापित के छः माह के भीतर आयोग को वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। मोर्चा का लेखा परीक्षण सी0ए0जी0 के पैनल में शामिल ऑडिटर से कराया जाएगा तथा मोर्चा का फण्ड केवल राजनैतिक कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जायेगा। मोर्चा अपने वित्तीय लेखों के रख–रखाव में आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का पालन करेगी।

**अनुच्छेद–9**

**मोर्चा के संविधान में संशोधन प्रक्रिया** :–

केन्द्रीय कार्यकारिणी की सिफारिश पर केन्द्रीय सम्मेलन या विशेष अधिवेशन में कुल सदस्यों को बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से संविधान में कोई भी संशोधन किया जा सकेगा। केन्द्रीय सम्मेलन द्वारा विशेष अधिवेशन द्वारा अधिकृत किये जाने पर केन्द्रीय सम्मेलन द्वारा विशेष अधिवेशन द्वारा अधिकृत किये जाने पर केन्द्रीय कार्यकारिणी संविधान में कोई संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद–2(1) में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।

**अनुच्छेद–10**

**मोर्चा के विलय एवं विघटन संबंधी प्रस्ताव** :–

झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विघटन या किसी अन्य मोर्चा के साथ विलय का निर्णय मोर्चा की केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी के द्वारा कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाएगा। इसके पश्चात् यह प्रस्ताव, मोर्चा को उस तक विद्यमान, समस्त स्तरों की कार्यकारिणी/परिषदों के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। मोर्चा की कम से कम 2/3 कार्यकारिणीयों/परिषदों के अनुमोदन के पश्चात यह प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित होगा।

**अनुच्छेद–11**

**अनिवार्य घोषणायें** :–

1. मोर्चा सभी पदों तथा पदाधिकारियों के समयबद्ध नियमित चुनाव 03 (तीन) वर्ष में एक बार अवश्य करायेगी।

2. मोर्चा लोकतंत्र, समाजवादी तथा धर्म–निरपेक्षवाद को अपना मूल सिद्धांत घोषित करती है।

3. मोर्चा यह घोषित करती है कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देगी और न ही उसमें शामिल होगी।

4. मोर्चा यह घोषित करती है कि वह अपने पंजीकरण के पाँच वर्षों के अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाने वाले चुनाव लड़ेगी तथा उसके पश्चात् चुनाव लड़ना जारी रखेगी। (यदि मोर्चा लगातार छः वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो पंजीकृत मोर्चा सूची से हटा दिया जाएगा।)

5. मोर्चा संविधान में कोई भी संशोधन मोर्चा की सामान्य सभा द्वारा आवश्यक स्वीकृत करायेगी।

6. मोर्चा की सभी शीर्ष स्तरीय समितियों तथा प्रतिनिधि निकायों का गठन लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से हो ऐसे निकायों के सदस्यों का नामांकन, प्रावधान के अनुसार न्यूनतम होगा तथा यह समिति/निकाय की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा।

7. मोर्चा के विभिन्न पदों की चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया लोकतांत्रिक है (कोई भी पद अनुवांशिक नहीं अथवा स्थायी रूप से नहीं रखा जायेगा)।

8. मोर्चा की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक होगी।

9. मोर्चा उचित स्तर के प्रतिनिधि निकायों में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुमत के आधार पर रखेगी।

10. मोर्चा विभिन्न समितियों परिषदों तथा अन्य प्रतिनिधि निकायों की वैध बैठको के लिए गणपूर्ति/संबंधित निकायों के न्यूनतम 1/3 सदस्य होने संबंधी प्रावधान रखेगी।